

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 22.10.2024

थाना इलिया जनपद चन्दौली

थाना इलिया पुलिस टीम द्वारा 5.2 लीटर अवैध शराब के साथ एक अन्तर्राज्यीय शराब तस्कर को किया गया गिरफ्तार।

चन्दौली- पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांग्हे द्वारा शराब/अवैध गोतस्करों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु दिये गये आदेश/निर्देश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक आपरेशन अनिल कुमार यादव व क्षेत्राधिकारी चकिया राजीव सिसोदिया के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक इलिया के नेतृत्व में उ0नि0 भोला सिंह द्वारा अपने हमराह के साथ चेकिंग अभियान के दौरान मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम द्वारा एक अभियुक्त के कब्जे से एक झोले में 26 मिस इण्डिया देशी शराब मशाला मात्रा प्रत्येक 200 ML कुल 5.2 लीटर अवैध शराब बरामद किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 104/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पुलिस कार्यवाही- दिनांक 21.10.2024 को उ0नि0 भोला सिंह मय हमराह को मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर मदरसा तिराहा के पास चेकिंग अभियान के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार व्यक्ति के कब्जे से 01 प्लास्टिक के झोले में से मिस इण्डिया देशी शराब मशाला प्रत्येक 200ml कुल 26 शीसी बरामद हुआ।

नाम पता अभियुक्त-

सदानन्द चौहान s/o स्व0 मोहन चौहान ग्राम अइलाय थाना चाँद जनपद कैमुर भभुआ बिहार उम्र 45 वर्ष

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 104/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम

बरामदगी विवरण-

26 अदद मिस इण्डिया देशी शराब मशाला (मशाला) मात्रा प्रत्येक 200 ML (कुल लगभग 5.2 लीटर शराब)

गिरफ्तारी व बरामदगी की पुलिस टीम-

प्रभारी निरीक्षक दयाराम गौतम थाना इलिया जनपद चन्दौली।

उ0नि0 भोला सिंह थाना इलिया जनपद चन्दौली।

हे0का0 दिनेश कुमार प्रथम थाना इलिया जनपद चन्दौली।

का0 आलोक सिंह थाना इलिया जनपद चन्दौली।

म0का0 शकुन्तला थाना इलिया जनपद चन्दौली।

थाना शहाबगंज – जनपद चन्दौली

◆थाना शहाबगंज पुलिस द्वारा एक टाटा पिकअप वाहन मे एक राशि गोवंश की बरामदगी करते हुए एक पशु तस्कर को किया गया गिरफ्तार

चंदौली:- पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांग्हे द्वारा जनपद मे गौ तस्करी व मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु दिये गये निर्देशों के क्रम मे अनिल कुमार यादव अपर पुलिस अधीक्षक आपरेशन व राजीव सिसौदिया क्षेत्राधिकारी चकिया के पर्यवेक्षण में चलाये जा रहे चेकिंग अभियान के दौरान मिर्जा रिजवान बेग थानाध्यक्ष थाना शहाबगंज के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 22.10.2024 को एक गौतस्कर द्वारा टाटा पिकप वाहन मे एक राशि गोवंश को क्रूरता पूर्वक लादकर वध हेतु बिहार प्रान्त ले जाते समय ग्रामीण की सूचना पर गोवंश की बरामदगी करते हुए एक गौ-तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 109/2024 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम 11 पशु क्रूरता अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1.मुरारी चौहान पुत्र स्व0 रामटहल निवासी ग्राम अमांव थाना शहाबगंज जनपद चन्दौली उम्र करीब 44 वर्ष

पंजीकृत अभियोग -

1.मु0अ0सं0 109/2024 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना शहाबगंज जनपद चन्दौली

बरामदगी का विवरण-

- 1.एक गोवंश
- 2.एक टाटा पिकप UP67BT2654

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

- 1.थानाध्यक्ष मिर्जा रिजवान बेग थाना शहाबगंज जनपद चन्दौली
- 2.रामचन्द्र शाही थाना शहाबगंज जनपद चन्दौली
- 3.का0 दीपक कुमार थाना शहाबगंज जनपद चन्दौली
- 4.का0 चक्रवर्ती अजय शंकरम थाना शहाबगंज जनपद चन्दौली

थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

◆ थाना अलीनगर पुलिस टीम द्वारा गैंगेस्टर एक्ट के वांछित 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

चन्दौली:- पुलिस अधीक्षक जनपद चन्दौली आदित्य लांगहे के द्वारा जनपद में अपराध पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु पंजीकृत अभियोगों के वांछित व पुरस्कार घोषित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन में चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक चन्दौली विनय कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी पं० दीन दयाल उपाध्याय नगर आशुतोष के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक अलीनगर विनोद कुमार मिश्रा के कुशल नेतृत्व में थाना अलीनगर पुलिस टीम द्वारा लगातार गैंगेस्टर एक्ट के विभिन्न अभियोगों से सम्बन्धित वांछित अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु सतत प्रयास किया जा रहा था तथा उनके घर व मिलने वाले अन्य सम्भावित स्थलों पर दबिश दी जा रही थी जिसमें गैंगेस्टर एक्ट के वांछित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

■ थाना अलीनगर पर पंजीकृत मु.अ.सं.248/24 धारा 3(1) उ.प्र. गैंगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त श्याम सिंह यादव उर्फ कल्लू निवासी ग्राम सिकिटियाँ थाना अलीनगर जनपद चन्दौली को आज दिनांक 22.10.2024 को कटरिया अन्डर बाईपास टैक्सी स्टैण्ड के पान की दुकान से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता अभियुक्तगण-

1. श्याम सिंह यादव उर्फ कल्लू निवासी ग्राम सिकिटियाँ थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

आपराधिक इतिहास-

1. मु०अ०सं० 296/2021 धारा 147/148/149/302/120बी/323/504 भादवि व 3(2)(V) SC/ST Act थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

2. मु.अ.सं. 248/24 धारा 3(1) उ.प्र. गैंगेस्टर एक्ट थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

■ □ थाना अलीनगर पर पंजीकृत मु.अ.सं. 353/24 धारा 3(1) उ.प्र. गैंगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त शिव वचन भारती पुत्र दुर्गा प्रसाद भारती निवासी ग्राम सिंधीताली थाना अलीनगर जनपद चन्दौली (उ०प्र०) उम्र 30 वर्ष जो लगातार अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिये फरार चल रहा था आज दिनांक 22.10.2024 को सिन्धीताली अन्डर बाईपास के बगल में स्थित टैक्सी स्टैण्ड से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता अभियुक्तगण-

1. शिव वचन भारती पुत्र दुर्गा प्रसाद भारती निवासी ग्राम सिंधीताली थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

आपराधिक इतिहास-

1. मु०अ०सं०- 296/2021 धारा 147/148/149/302/120बी/323/504 भादवि व 3(2)(V) SC/ST Act थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

2.मु0अ0सं- 253/24 धारा 3(1) उ.प्र.गैंगेस्टर एक्ट थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

गिरफ्तारी में शामिल पुलिस टीम-

- 1.निरीक्षक विनोद कुमार मिश्रा प्रभारी निरीक्षक थाना अलीनगर जनपद चन्दौली
- 2.उ0नि0 अजय कुमार यादव थाना अलीनगर जनपद चन्दौली
- 3.का0 दीपक शर्मा थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

साइबर क्राइम थाना जनपद चंदौली

◆साइबर क्राइम टीम द्वारा आवेदिका की फ़ाड धनराशि-9000/-रुपये वापस करायी गई

चंदौली:- पुलिस अधीक्षक जनपद चन्दौली श्री आदित्य लांगहे* के निर्देशानुसार, अपर पुलिस अधीक्षक विनय कुमार सिंह के निर्देशन में एंव पुलिस उपाधीक्षक राजीव कुमार सिसौदिया के कुशल पर्यवेक्षण में व थानाध्यक्ष साइबर क्राइम वीरेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में साइबर क्राइम टीम द्वारा साइबर क्राइम के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद चन्दौली के साइबर क्राइम थाना द्वारा की गयी त्वरित कार्यवाही के चलते आवेदिका किरन देवी पत्नी रमेश कुमार चौरसिया निवासी जहानपुर पोस्ट भभौरा थाना चकिया जनपद-चन्दौली का फ़ाड तरीके से 9000/- रुपये की आनलाइन धोखाधडी की गयी थी। जिसके सम्बन्ध में किरन देवी उपरोक्त द्वारा थानाध्यक्ष के समक्ष प्रार्थना पत्र दिया गया। इसी क्रम में थाना साइबर क्राइम जनपद चन्दौली द्वारा तत्परता से कार्यवाही करते हुए आवेदिका के खाते से निकाली गयी धनराशि 9000/- रुपये को आवेदिका के खातें में वापस करायी गयी। आवेदिका श्रीमती किरन देवी उपरोक्त द्वारा श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय चन्दौली, अपर पुलिस अधीक्षक महोदय, पुलिस उपाधीक्षक थाना साइबर क्राइम, साइबर थानाध्यक्ष एवं साइबर क्राइम टीम जनपद चन्दौली का आभार व्यक्त किया।

आवेदिका का नाम/पता-

1.किरन देवी पत्नी रमेश कुमार चौरसीया निवासी जहानपुर पोस्ट भभौरा थाना चकिया जनपद-चन्दौली

विवरण बरामदगी:-

दिनांक- 22.10.2024 वापस करायी गयी धनराशि रुपया – 9000/-

दिनांक घटना- 27.09.2024

बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

- 1.उ० नि० वीरेन्द्र कुमार (थानाध्यक्ष साइबर क्राइम)
- 2.हे०का० सुनील कुमार मिश्रा
- 3.का० अनिल कुमार
- 4.का० आशुतोष भारद्वाज
- 5.का० सन्तोष कुमार यादव